वित्तीय स्वीकृति

संख्या - 7 /2020-671/1-8-2020-रा0-8-06/2020

प्रेषक,

महेन्द्र सिंह,

विशेष सचिव ,

उ0प्र0शासन।

सेवा में,

चकबन्दी आयुक्त,

उ0प्र0, लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-8 लखनऊ : दिनांक 16 अप्रैल, 2020

विषयः-वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में प्रावधानित धनराशि (मतदेय/भारित) के समक्ष वित्तीय स्वीकृतियां जारी किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-52 के लेखा शीर्षक-2029-भू0-राजस्व-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-03-खेतों की चकबन्दी-01-मुख्यालय अधिष्ठान एवं 02-जिला अधिष्ठान के व्यय के लिये संलग्नक में अंकित मतदेय मद में कुल योग रू0 64719.14 लाख तथा भारित मद में रू0 2.00 लाख की धनराशि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020 , दिनांक 24 मार्च, 2020 में अंकित दिशानिर्देशों के अधीन निम्नानुसार व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की मा0 राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उन्हीं कार्यों/या जायेगमदों पर कि, जिसके लिये धनराशि स्वीकृत की गयी है। किसी अन्य प्रयोजन/कार्यों/ मदों पर कदापि नहीं की जायेगी।

(2) व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/वित्तीय नियमों तथा उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक- 24 मार्च, 2020 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(3) व्यय किये जाने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल/वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत शासकीय अथवा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 के द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

महेन्द्र सिंह
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्क कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा एवं परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, चकबन्दी मुख्यालय, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7. राजस्व अनुभाग-6
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

महेन्द्र सिंह
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<u>शासनादेश संख्या-671/1-8-2020-रा0-8-06/2020, दिनांक 16 अप्रैल, 2020 का संलग्नक।</u>

अनुदान संख्या-52

लेखाशीर्षक-2029-भू-राजस्व-800-अन्य व्यय-03-खेतों की चकबंदी

0301-मुख्यालय अधिष्ठान (धनराशि लाख रू० में)

मद सं0	मानक मद	वर्ष 2020-21 में प्राविधानित धनराशि	स्वीकृति हेतु प्रस्तावित धनराशि
1	2	3	4
01	वेतन	1340.55	1340.55
03	मंहगाई भत्ता	335.14	335.14
04	यात्रा व्यय	7.50	7.50
05	स्थानान्तरण यात्रा व्यय	3.00	3.00
06	अन्य भत्ते	5.00	5.00
08	कार्यालय व्यय	8.00	8.00
11	लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	5.00	5.00
12	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	4.25	4.25
13	टेलीफोन पर व्यय	2.00	2.00
15	गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	20.00	20.00
16	व्यावसायिक और विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	4.00	4.00
19	विज्ञापन, बिक्री एवं विख्यापन व्यय	1.00	1.00
42	अन्य व्यय	0.20	0.20
44	प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1.50	1.50
45	अवकाश यात्रा व्यय	2.00	2.00
46	कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	6.00	6.00
47	कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	3.00	3.00
49	चिकित्सा व्यय	15.00	15.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

51	वर्दी व्यय	0.50	0.50
52	पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	5.00	5.00
55	मकान किराया भत्ता	120.00	120.00
56	नगर प्रतिकर भत्ता	25.00	25.00
	योग (क) मतदेय	**1913.64**	**1913.64**

0302-जिला अधिष्ठान (धनराशि लाख रूपये में)

मद सं0	मानक मद	वर्ष 2020-21 में प्राविधानित धनराशि	स्वीकृति हेतु प्रस्तावित धनराशि
1	2	3	4
01	वेतन	47979.20	47979.20
03	मंहगाई भत्ता	11994.80	11994.80
04	यात्रा व्यय	30.00	30.00
05	स्थानान्तरण यात्रा व्यय	25.00	25.00
06	अन्य भत्ते	120.00	120.00
08	कार्यालय व्यय	6.00	6.00
09	विद्युत देय	20.00	20.00
10	जलकर/जलप्रभार	1.00	1.00
11	लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	50.00	50.00
12	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	10.00	10.00
13	टेलीफोन पर व्यय	2.00	2.00
15	गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	15.00	15.00
16	व्यावसायिक और विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	10.00	10.00
17	किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	45.00	45.00
18	प्रकाशन	0.50	0.50
19	विज्ञापन, बिक्री एवं विख्यापन व्यय	0.50	0.50
29	अनुरक्षण	5.00	5.00
42	अन्य व्यय **मतदेय**	1.00	1.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	भारित	2.00	2.00
44	प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	2.00	2.00
45	अवकाश यात्रा व्यय	3.00	3.00
46	कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	4.00	4.00
47	कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	4.50	4.50
49	चिकित्सा व्यय	150.00	150.00
51	वर्दी क्रय	2.00	2.00
52	पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	25.00	25.00
55	मकान किराया भत्ता	2000.00	2000.00
56	नगर प्रतिकर भत्ता	300.00	300.00
योग (ख) मतदेय		**62805.50**	**62805.50**
भारित -42-अन्य व्यय		2.00	2.00
	कुल योग (क + ख) मतदेय	**64719.14**	**64719.14**
	भारित	**2.00**	**2.00**

महेन्द्र सिंह
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।